पंजाब एण्ड सिंध बैंक (भारत सरकार का उपक्रम)

प्रधान कार्यालय : 21-राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली - 110 008

असाधारण सामान्य बैठक - शुद्धि पत्र

दिनांक 25.03.2021 को प्रातः 11.00 बजे विडियो कॉफ्रेसिंग (वीसी)/ अन्य श्रव्य दृश्य साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से बैंक के

असाधारण सामान्य बैठक के आयोजन के संबंध में जारी नोटिस दिनांकित 02.03.2021 जोकि दिनांक 03.03.2021 को फाइनेंसियल

एक्सप्रेस (अंग्रेजी अखबार) तथा जनसत्ता (हिंदी अखबार) में प्रकाशित किया गया था, के पश्चात बैंक को बीएसई व एनएसई से

सूचना प्राप्त हुई है कि इक्विटी शेयरों के अधिमान्य निर्गम पर विचार करने के लिए आयोजित की जा रही असाधारण समान्य बैठक

के लिए नोटिस में निम्नलिखित विषयों को जोड़ने/संशोधित करने की आवश्यकता हैः

तदनुसार, असाधारण सामान्य बैठक के लिए नोटिस में व्याख्यात्मक विवरणी का बिंदु "e)" जो इस प्रकार हैः

e) सेबी (आईसीडीआर) विनियमन, 2018 में उल्लिखित निर्धारित समय-सीमा के भीतर बैंक, निर्गम प्रक्रिया को पूर्ण करने का प्रयास

करता है।

अब इस प्रकार पढ़ा जाएगाः

e) विशेष संकल्प के अन्सरण में आबंटन को इस प्रकार के संकल्प के पारित होने के तिथि से 15 (पंद्रह) दिनों की अविध के भीतर

पूरा किया जाएगा बशर्ते जहाँ सेबी (एसएएसटी) विनियमन, 2011 या किसी नियामक प्राधिकारी या केंद्र सरकार द्वारा आबंटन के

लिए कोई अनुमोदन या अनुमति की प्रयोज्यता से छूट के लिए कोई भी आवेदन लंबित है, 15 (पंद्रह) दिनों की अविध की गणना

इस प्रकार के आवेदन पर आदेश की तिथि या अनुमोदन या अनुमति की तिथि, यथास्थिति, से की जाएगी।

इसके अलावा, असाधारण सामान्य बैठक के लिए नोटिस में व्याख्यात्मक विवरणी में बिंदु "r)" के बाद निम्नानुसार बिंदु "s)" जोड़ा

जा सकता है, जिसे इस प्रकार पढ़ा जाएगाः

s) विनियमन 163 (i) में विनिर्दिष्ट आईसीडीआर विनियमों की अनुसूची VI में विनिर्दिष्ट अनुसार प्रकटीकरण लागू नहीं हैं क्योंकि

बैंक या इसका प्रवर्तक या कोई भी निदेशक, इरादतन चूककर्ता नहीं है।

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा

कृते पंजाब एण्ड सिंध बैंक

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 15 मार्च, 2021

(एस कृष्णन) एमडी एण्ड सीईओ (A Government of India Undertaking)
Head Office: 21-Rajendra Place, New Delhi – 110 008

EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING – CORRIGENDUM

Subsequent to the issuance of Notice dated 02.03.2021 convening Extra Ordinary General Meeting of the Bank through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) on Thursday, the 25th day of March, 2021 at 11.00 a.m which was published on 03.03.2021 in the Financial Express (English newspaper) and Jansatta (Hindi newspaper), Bank has received communications from BSE & NSE wherein it has been informed that the following matters need to be added / amended in the notice for the Extraordinary General Meeting being convened to consider the preferential issue of equity shares.

Accordingly, point "e)" of the Explanatory Statement in the notice for the Extraordinary General Meeting which read as:

e) The Bank endeavours to complete the issue process within the prescribed time lines as indicated in SEBI (ICDR) Regulations, 2018.

Shall now be read as:

e) The allotment pursuant to the Special Resolution shall be completed within a period of 15 (fifteen) days from the date of passing of such resolution provided that where any application for exemption from the applicability of SEBI (SAST) Regulations, 2011 or any approval or permission by any Regulatory Authority or the Central Government for allotment is pending, the period of 15 (fifteen) days shall be counted from the date of the order on such application or the date of approval or permission, as the case may be.

Further, in the Explanatory Statement in the notice for the Extraordinary General Meeting, the following may be added after point "r)" as point "s)" which shall be read as:

s) Disclosures as specified in Schedule VI to the ICDR Regulations as specified in Regulation 163(i) are not applicable as the Bank or its Promoter or any of its Directors is not a willful defaulter.

By order of the Board of Directors For PUNJAB & SIND BANK

Place: New Delhi (S Krishnan)
Date: 15 March, 2021 MD & CEO